

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 15 दसिंबर, 2023

भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच उत्तराखंड वदियुत परियोजना के लिये समझौता

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बीच 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करना उत्तराखंड के वदियुत नेटवर्क के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- गुणवत्ता, दक्षता तथा विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से यह परियोजना बढ़ती वदियुत मांगों को पूरा करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारु एकीकरण को सुनिश्चिती करने के लिये सबस्टेशनों व वदियुत लाइनों के साथ-साथ 537 कर्मिी. तक वसित्त एक आधुनिक भूमगित केबल प्रणाली प्रस्तुत करेगी।
- ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
 - इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं जनिमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र के हैं एवं 19 सदस्य बाहर से हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थति है।

और पढ़ें...[एशियाई विकास बैंक](#)

जामुन के औषधीय गुण

IIISER भोपाल के शोधकर्त्ताओं द्वारा जामुन के वृक्ष (साइज़िमि क्यूमिनी) के अभूतपूर्व जीनोम अनुक्रम से इस प्रजाति के भीतर नहिती औषधीय गुणों का पता चला है। जामुन का वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है जो भारत में अपने औषधीय गुणों, फलों तथा आर्थिक मूल्य के लिये लोकप्रिय है।

- जामुन का आनुवंशिक कूट इसके एंटीऑक्सीडेंट, प्रतशिथ प्रतकिरिया तथा मधुमेह-रोधी गुणों के लिये सहायक जैवसक्रिय यौगिकों की एक समृद्ध शृंखला को उजागर करता है।
 - इस अध्ययन में टेरपेनोइड्स तथा ग्लूकोसाइड्स से जुड़े जीन की उपस्थति पर भी प्रकाश डाला गया है, जो क्रमशः इसके प्रतकिरिया तंत्र तथा मधुमेह-रोधी क्षमताओं में प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं।
- जीनोम अनुक्रमण किसी जीव में DNA निर्माण ब्लॉकों के सटीक क्रम को निर्धारित करने, उसके संपूर्ण आनुवंशिक रूपरेखा का अनावरण करने की प्रक्रिया है।

और पढ़ें...[भारत में जीनोम अनुक्रमण](#)

जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी में महिला कोटा के लिये वधियक

हाल ही में लोकसभा ने संवधान के 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का वसितार करने के लिये दो वधियक पारति किये, जो संसद एवं राज्य वधियनसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण को केंद्र शासति प्रदेशों पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर तक प्रदान करता है।

- गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनरगतन (दूसरा संशोधन) वधियक, 2023 और केंद्र शासति प्रदेश सरकार (संशोधन) वधियक, 2023 पेश किये।
- दोनों वधियक पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर की वधियन सभाओं में कानून बनाने की प्रक्रियाओं में जन प्रतनिधियों के रूप में महिलाओं के अधिक प्रतनिधित्व एवं भागीदारी को सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं।
 - पुदुचेरी वधियनसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण स्थापति करने के लिये संसद को केंद्र शासति प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करने की आवश्यकता है।

WOMEN Reservation Act, 2023

(106th Constitutional Amendment Act)

OBJECTIVE

- Reserve 1/3rd of total seats in LS and state Legislative Assemblies (LAs) for women

BACKGROUND

- Bill previously introduced in: 1996, 1998, 2009, 2010, 2014
- Related Committees:
 - Committee on the Status of Women in India (1971)
 - Committee under Margaret Alva (1987)
 - Geeta Mukherjee Committee (1996)
 - Committee on the Status of Women (2013)

Key Features

Articles Inserted:

- Article 330A - Reservation for Women in LS
- Article 332A - Reservation for Women in State LAs
- Article 239AA - Reservation for Women in NCT of Delhi
- Article 334A - Reservations to become effective after delimitation is undertaken and Census is conducted

Time Period:

- Reservation to be provided for **15 years** (can be extended)

Rotation of Seats Reserved:

- After each delimitation

NEED

- Political Underrepresentation:
 - Only **82 Women MPs in LS (15.2%)** and 31 in RS (13%)
 - On avg, women constitute only **9% of the total members in State LAs**



ARGUMENTS

In Favour:

- Vital step towards gender equality
- Broader range of perspectives to the decision-making process
- Helps eliminate discrimination against women in political/public life

Against:

- Delimitation based on 2021 census (yet to be conducted) is mandatory
- No women's reservation in RS and State Legislative Councils

STEPS AHEAD

- Reservation for women within political parties
- Independent political decision-making by women; **overcoming Sarpanch-patism**



INS तारमुगली

भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री कूटनीति और ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक **फास्ट अटैक क्राफ्ट (FAC) INS तारमुगली** को चालू किया है।

- इस जहाज को भारतीय नौसेना में **INS टिलिचंग (INS Tillanchang)**, एक **ट्रकिट क्लास जहाज** के रूप में शामिल किया गया था, वर्ष 2006 तक सक्रिय सेवा में था, और उसके बाद वर्ष 2006 में हृदि महासागर क्षेत्र (IOR) में राजनयिक आउटरीच के हिससे के रूप में भारत की मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) को उपहार में दे दिया गया।
- जहाज को मई 2023 में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया था, युद्धपोत MTU इंजन, नवीनतम संचार उपकरण और एक उन्नत **रडार प्रणाली** से सुसज्जित है तथा इसका उपयोग भारत के पूर्वी तट पर तटीय नगरानी एवं सुरक्षा के लिये बड़े पैमाने पर किया जाएगा।
- जहाज का नाम **अंडमान समूह** के एक छोटे से द्वीप तारमुगली द्वीप (Tarmugli Island) के नाम पर रखा गया है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-15-december,-2023>

